eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Issue 12, December 2023

घरेलू हिंसा और महिला मानवाधिकार : एक अध्ययन

[1]**डॉ0 शालिनी तिवारी**
[2]असिस्टेण्ट प्रोफेसर शिक्षाशास्त्र डी0जी0पी0जी0 कॉलेज, कानपुर

Received: 25 September 2023 Accepted and Reviewed: 15 October 2023, Published : 01 Dec 2023

Abstract

वैश्विक स्तर पर लोकतान्त्रिक व्यवस्था जैसे–जैसे सुदृढ़ होती गयी। महिलाओं को पुरुषों के समकक्ष लाने की मुहिम में भी तेजी आती गयी। विधि एवं न्याय के समक्ष समानता, लोक सेवाओं में नियुक्ति हेतु समान अवसर, विचार, अभिव्यक्ति, निवास, रोजगार आदि की स्वतन्त्रता, पारिवारिक सम्पत्ति में हिस्सेदारी, निर्णयन के प्रत्येक स्तर आदि के मामलों में महिलाओं को न केवल पुरुषों के समकक्ष लाया गया बल्कि आवष्यकतानुसार उनकी निष्ठा व सम्मान हेतु विशेष प्रावधान भी किए गये हैं। महिला मानव अधिकार में महिला को मानव रूप में प्राप्त अधिकारों सहित वे अधिकार भी दिए गये हैं जो एक महिला को महिला होने के नाते प्राप्त होने चाहिए। वैष्विक स्तर पर इनकी स्वीकृति हेतु महिलाओं को एक लम्बे संघर्ष से गुजरना पड़ा, तब कहीं जाकर महिला को मानव के रूप में स्वीकृति सम्भव हुई। यद्यपि भारत में वैदिककालीन नारी को कुछ अधिकार प्राप्त थे और पुरुषों के समकक्ष स्थान प्राप्त था। वैदिक काल में अनेक विदुषी महिलाएँ अपाला, घोषा, गार्गी, आदि थीं, जिन्होंने पुरुषों के समान शिक्षा ग्रहण की और समाज को प्रभावित किया तथापि इस कालखण्ड को छोड़कर भारतीय अधिकारों का सदैव हनन हुआ।

मुख्य शब्द– भारतीय समाज, मानवीय गरिमा, घरेलू हिंसा और महिला मानवाधिकार।

Introduction

सभ्य समाज में हिंसा का कोई स्थान नहीं है लेकिन प्रत्येक वर्ष घरेलू हिंसा के जितने मामले सामने आते हैं, वे एक चिन्तनीय स्थिति को रेखांकित करते हैं। हमारे देश में घरों के बन्द दरवाजों के पीछे लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। यह कार्य ग्रामीण क्षेत्रों, कस्बों शहरों और महानगरों में भी हो रहा है। घरेलू हिंसा सभी सामाजिक वर्गों, लिंग, नस्ल और आयु समूहों को पार कर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लिए एक विरासत बनती जा रही है।

घरेलू हिंसा क्या है ?

घरेलू हिंसा अर्थात कोई भी ऐसा कार्य जो किसी महिला एवं बच्चे (18 वर्ष से कम आयु के बालक/बालिका) के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन पर संकट, आर्थिक क्षति और ऐसी क्षति जो असहनीय हो तथा जिससे महिला व बच्चे को दुःख एवं अपमान सहना पड़े, इन सभी को घरेलू हिंसा के दायरे में शामिल किया जाता है।

भारत में घरेलू हिंसा के विभिन्न रूप– भारत में घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अनुसार, घरेलू हिंसा के पीड़ित के रूप में महिलाओं के किसी भी रूप तथा 18 वर्ष से कम आयु के बालक एवं बालिका को संरक्षित किया गया है। भारत में घरेलू हिंसा के विभिन्न रूप निम्नलिखित हैं–

- महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा
- पुरुषों के विरुद्ध घरेलू हिंसा
- बच्चों के विरुद्ध घरेलू हिंसा
- बुजुर्गों के विरुद्ध घरेलू हिंसा

घरेलू हिंसा के कारण–

- ➢ महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा का मुख्य कारण मूर्खतापूर्ण मानसिकता है कि महिलाएँ, पुरुषों की तुलना में शारीरिक और भावनात्मक रूप से कमजोर होती हैं।
- ➢ विवाह में प्राप्त दहेज से असंतुष्टि, जीवनसाथी के साथ बहस करना, उसके साथ यौन सम्बन्ध बनाने से इंकार करना, बच्चों की उपेक्षा करना, जीवनसाथी को बिना बताए घर से बाहर जाना आदि।

संविधान द्वारा मानव को प्रदत्त सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक अधिकार प्राप्त करने के लिए एक उपयुक्त सामाजिक वातावरण का होना अति आवश्यक है। समाज में मानव अधिकारों के प्रति सकारात्मक सोच तथा अनुकूल परिवेश मानव अधिकारों की आपूर्ति हेतु आवश्यक होते हैं। व्यक्ति की स्वतन्त्रता एवं गरिमा से सम्बन्धित अधिकार मानव अधिकार कहलाते हैं। मानव अधिकार हर व्यक्ति के समग्र विकास हेतु अनिवार्य होते हैं।

मानव अधिकार, वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के जीवन, स्वतन्त्रता, समानता एवं प्रतिष्ठा से जुड़े हैं। यह अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में मूलभूत अधिकारों के रूप में वर्णित किए गये हैं और न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे अधिकार जो अन्तरराष्ट्रीय समझौते के फलस्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा स्वीकार किए गये हैं, देश के न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय हैं, को मानव अधिकार की संज्ञा दी गयी है। विश्व की सभी सभ्यताओं, संस्कृतियों, जीवन मूल्यों और आदर्शों का आधार ही मानव अधिकार है। हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों और नीति निर्देषक सिद्धान्तों को इसी भावना से दिया गया है। इन अधिकारों को मूल अधिकार, अन्तर्निहित या जन्मजात अधिकार, नैसर्गिक या प्राकृतिक अधिकार, आधारभूत अधिकार आदि नामों से भी सम्बोधित किया जाता है।

भारत में मानवाधिकारों का विकास एक जटिल व संगठित प्रक्रिया के अन्तर्गत हुआ। हमारी परम्परा, विविध संस्कृतियों के जटिल आदर्षों एवं दर्शनों ने मिलकर एक समन्वित मानव अधिकार का विकास किया। भारत में महिलाओं के अधिकारों की प्राप्ति हेतु काफी लम्बे समय से संघर्ष चल रहा है। सदियों से भारत में सतीप्रथा, पर्दाप्रथा, दहेजप्रथा, रूढ़िवादिता समाज में व्याप्त है, जिनके रहते मानव अधिकार की स्थिति महिलाओं के लिए निराषाजनक है। भारतीय महिलाओं के मानवाधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित बातें अत्यन्त विचारणीय हैं–

- घरेलू हिंसा
- बाल विवाह
- बलात्कार और यौन उत्पीड़न
- बाल यौन दुर्व्यवहार

- वैवाहिक विवाद
- तलाक
- कार्यस्थल और शैक्षिक संस्थानों में यौन उत्पीड़न
- गर्भभ्रम का जन्म, पूर्व लिंग चयन और उन्मूलन
- महिलाओं की सम्पत्ति और विरासत का अधिकार
- महिलाओं के विरुद्ध 'सम्मान' आधारित अपराध
- महिलाओं और श्रम अधिकारों के लिए समान रोजगार अवसर
- लिंग आधारित भेदभाव/शोषण

भारत में महिलाओं हेतु उपलब्ध अधिकारों को निम्नांकित श्रेणियों में विभक्त किया गया है–

1. संवैधानिक अधिकार– वे अधिकार जो संविधान द्वारा प्रदान किए गये हैं।
2. कानूनी अधिकार– संसद और राज्य विधान मण्डलों द्वारा बनाए गए विभिन्न कानूनों द्वारा प्रदान किए गये हैं।

संवैधानिक अधिकार–

भारतीय संविधान द्वारा महिलाओं को निम्नलिखित अधिकार प्रदान किए गये हैं–

- अनुच्छेद 14– विधि के समक्ष समानता अथवा विधियों के समान संरक्षण का अधिकार प्रदान किया गया।
- अनुच्छेद 15 (1)– राज्य लिंग के आधार पर भारत के किसी भी नागरिक के खिलाफ भेदभाव नहीं करेगा।
- अनुच्छेद 39 ए– राज्य पुरुषों एवं महिलाओं के लिए आजीविका के पर्याप्त साधनों का समान रूप से निर्धारण करेगा।
- अनुच्छेद 39 डी– राज्य पुरुषों एवं महिलाओं के लिए समान कार्य हेतु समान वेतन की देयता सुनिष्चित करेगा।
- अनुच्छेद 39 ई– राज्य को यह सुनिश्चित करने की आवष्यकता है कि महिला श्रमिकों के स्वास्थ्य व शक्ति का दुरुप्रयोग न किया जाए और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत किया जाए ताकि वे सम्मान के साथ जीवनयापन कर सकें।
- अनुच्छेद 42– राज्य महिलाओं के लिए कार्य और मातृत्व राहत की उचित और मानवीय स्थितियों को सुनिश्चित रखने हेतु प्राविधान करेगा।
- अनुच्छेद 51 ए(ई)– महिलाओं की गरिमा को चोट पहुँचाने वाली और अपमानजनक प्रथाओं को मिटाना भारत के प्रत्येक नागरिक का प्रथम कर्तव्य होगा।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Issue 12, December 2023

- अनुच्छेद 243 डी(3)— प्रत्येक पंचायत में सीधे चुनाव से भरने वाली कुल सीटों का एक—तिहाई हिस्सा महिलाओं हेतु आरक्षित होगा।
- अनुच्छेद 243 टी(3)— प्रत्येक नगरपालिका में चुनाव से भरने वाली कुल सीटों का एक—तिहाई हिस्सा महिलाओं हेतु आरक्षित होगा।

कानूनी अधिकार— महिलाओं के अधिकार और सुरक्षा सुनिष्चित करने के लिए निम्नलिखित विभिन्न कानूनों का प्राविधान किया गया है—

- घरेलू हिंसा अधिनियम 2005— भारत में महिलाओं की रक्षा हेतु एक व्यापक कानून है। इसमें वे सभी महिलाएँ सम्मिलित हैं जो दुर्व्यवहार की शिकार हैं और किसी भी तरह की शारीरिक, मानसिक, मौखिक या भावनात्मक हिंसा से प्रताड़ित हैं।
- महिलाओं की तस्करी रोकथाम अधिनियम 1956— इसमें वाणिज्यिक यौन शोषण के लिए तस्करी की रोकथाम के लिए कानून है। यह महिलाओं और लड़कियों की तस्करी को रोकता है।
- सती प्रथा रोकथाम अधिनियम 1987— यह कानून सती प्रथा जैसी कुरीतियों पर रोकथाम हेतु बनाया गया है।
- दहेज निषेध अधिनियम 1961— इस अधिनियम के अन्तर्गत महिलाओं से शादी के बाद या पहले या किसी भी समय दहेज देने या लेने पर प्रतिबन्ध है।
- मातृत्व लाभ अधिनियम 1961— बाल जन्म से पहले और उसके बाद निष्चित अवधि के लिए कुछ प्रतिष्ठानों में महिलाओं के रोजगार को नियमन करता है तथा मातृत्व लाभ तथा कुछ अन्य लाभ प्रदान करता है।
- समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976— समान कार्य या समान प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष और महिला दोनों श्रमिकों को समान पारिश्रमिक के भुगतान का अधिकार प्रदान करता है।
- हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956— यह अधिनियम निर्देशित करता है कि एक लड़की को भी अपने माता—पिता की सम्पत्ति में लड़के के बराबर अधिकार प्राप्त हैं।
- हिन्दू विवाह अधिनियम 1956— शादी और तलाक के सम्बन्ध में भारतीय पुरुष और महिला को समान अधिकार प्रदान किया गया है।
- मुस्लिम विवाह अधिनियम 1939— यह अधिनियम मुस्लिम पत्नी को उसके विवाह के विघटन की तलाश करने का अधिकार प्रदान करता है।
- भारतीय दण्ड संहिता 1860— इसके अन्तर्गत दहेज में मृत्यु, बलात्कार, अपहरण, क्रूरता और अन्य अपराधों से भारतीय महिलाओं को रक्षा प्रदान करता है।
- कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987— यह अधिनियम भारतीय महिलाओं के लिए निःशुल्क कानूनी सेवाएँ प्रदान करता है।

- न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948– यह अधिनियम पुरुष और महिला श्रमिकों के बीच भेदभाव या महिलाओं के लिए पुरुषों से कम मजदूरी की अनुमति नहीं देता है।
- विशेष विवाह अधिनियम 1954– इसके अन्तर्गत महिलाओं को वैवाहिक स्वतन्त्रता के साथ–साथ धार्मिक स्वतन्त्रता प्रदान की गयी है। इसके माध्यम से कोई भी महिला अपना धर्म परिवर्तन किए बगैर किसी अन्य धर्म को मानने वाले व्यक्ति से विवाह कर सकती है।
- आपराधिक कानून अधिनियम 1961– इस अधिनियम के तहत महिलाओं को ऐसे अधिकार और विषेष रियायतें दी गयीं कि महिला अपने मातृत्व की जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सके।
- कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न निवारण और निषेध अधिनियम 2013– यह अधिनियम सार्वजनिक और निजी दोनों ही क्षेत्रों में सभी कार्यस्थलों पर यौन–उत्पीड़न से महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करता है।

भारत सरकार द्वारा महिलाओं के लिए अनेक विकास कार्यक्रम एवं कल्याणकारी योजनाओं का भी संचालन किया जा रहा है ताकि उनके जीवन स्तर में सुधार आ सके और विकास कार्यों में उनकी अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित हो सके। सरकार द्वारा महिलाओं हेतु चलाई जा रही प्रमुख योजनाएँ निम्नलिखित हैं–

- ड्वाकरा योजना 1982– ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हुए उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषाहार और शिशुओं की देखभाल करने जैसी मूलभूत सेवाएँ प्रदान करती है।
- किशोरी बालिका योजना 1992– गरीब परिवार की बालिकाओं के उचित स्वास्थ्य एवं शिक्षा की व्यवस्था करता है।
- मातृ एवं शिशु कार्यक्रम 1992– यह शिशुओं और माताओं को पोशाहार उपलब्ध कराकर सुरक्षित मातृत्व एवं टीकाकरण के माध्यम से शिशुओं की मृत्युदर में कमी लाने का प्रयास करता है।
- महिला समृद्धि योजना 1993– यह ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने का कार्य करती है।
- राष्ट्रीय महिला कोश योजना 1993– यह गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार की महिलाओं में आर्थिक, सामाजिक परिवर्तन लाने हेतु ऋण उपलब्ध कराती है।
- राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना 1994– यह गरीब महिलाओं की प्रसूति के लिए सहायता प्रदान करती है।
- इन्दिरा गांधी योजना 1995– यह ग्रामीण और शहरी बस्ती की महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलम्बन प्रदान करती है।
- महिला स्त्री शक्ति योजना 1998– यह महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आर्थिक व सामाजिक रूप से सशक्त बनाती है।

इस प्रकार सरकार द्वारा महिलाओं के लिए अनेक विकास कार्यक्रमों एवं कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जाता है जिससे कि उनके जीवन स्तर में सुधार आ सके और विकास कार्यों में उनकी अधिक से अधिक भागीदारी सुनिष्चित की जा सके। सन् 1958 में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना की गयी और प्रत्येक राज्य में बोर्ड से सम्बन्धित संगठन, स्त्री शिक्षा, नौकरी एवं महिला कल्याण को बढ़ाने के लिए कार्यरत हैं। सन् 1999 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गयी तथा महिला अधिकारों के लिए भारत सरकार ने महिला सशक्तीकरण नीति 2000 के अन्तर्गत एक दसवर्षीय योजना प्रस्तुत की जिसमें नीति निर्धारण एवं निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की सहभागिता, कृषि उद्योग, अर्थ व्यवस्था में स्थिति का आकलन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आवास, पर्यावरण, विज्ञान, प्रोद्योगिकी आदि के सम्बन्ध में महिलाओं की स्थिति, महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा, मीडिया की भूमिका को रेखांकित किया गया है। महिलाओं की दशा सुधारने हेतु सरकार द्वारा सन् 1985 में महिला एवं बाल विकास विभाग की भी स्थापना की गयी। भारत सरकार द्वारा सन् 2001 को महिला सशक्तीकरण वर्ष घोषित किया गया ।

भारतीय संविधान में कहने के लिए तो महिलाओं को पुरुषों के बराबर दर्जा प्राप्त है किन्तु वास्तविकता आज भी देखी जा सकती है कि विवाह, तलाक, काम, सम्पत्ति के अधिकार, गुजारा–भत्ता आदि कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ बराबरी के नाम पर महिलाओं के साथ भद्दा मजाक न किया गया हो। महिलाओं के प्रति हिंसा की समस्या विश्वव्यापी बनी हुई है, जिससे कोई भी समाज या समुदाय मुक्त नहीं है। महिलाओं के प्रति भेदभाव इसलिए विद्यमान है क्योंकि इसकी जड़ें सामाजिक प्रतिमानों एवं मूल्यों में जमी हुई हैं। प्रत्येक स्थल व प्रत्येक प्रकार की महिला विरोधी हिंसा के लिए समाज व राज्य दोनों को ही अपना नैतिक व विधिक उत्तरदायित्व निभाना पड़ेगा। व्यावहारिक स्वरूप यही माँग करता है कि एक ऐसी सामाजिक पहल हो जिससे महिलाओं के प्रति पूरे समाज की सोच बदले। महिलाओं को प्रदत्त अधिकारों एवं उनके लिए बनाए गये अधिनियमों के बाद भी महिलाओं की स्थिति विचारणीय है। महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए पर्याप्त अधिनियम हैं, जिससे महिलाओं की सामाजिक स्थिति में पर्याप्त अन्तर आया है, फिर भी बहुत सी कमियाँ हैं जिसके कारण महिलाएँ इन कानूनी प्राविधानों का लाभ नहीं उठा पाती हैं, जैसे–

- महिलाओं को कानूनों व अधिकारों का पर्याप्त ज्ञान ही नहीं है। अतः ऐसे कानूनों का प्रचार–प्रसार व समय–समय पर इनकी जानकारी प्रदान की जाए।
- अधिकांश मामलों में पारिवारिक दबाव या सामाजिक दबाव के कारण रिपोर्ट ही दर्ज नहीं करायी जाती हैं।
- घरेलू हिंसा से सम्बन्धित मामलों में महिलाएँ आगे नहीं आती हैं। यदि वे आवाज उठाना भी चाहें तो समाज उसे उचित नहीं मानता। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कानून व सरकार के साथ–साथ समाज को भी अपनी उचित व प्रभावी भूमिका का निर्वहन करना चाहिए।

- देश के कुल मतदाताओं में आधी संख्या महिलाओं की है किन्तु लोकसभा, राज्यसभा, विधानमण्डलों, पंचायतों व स्थानीय निकायों में उनका प्रतिनिधित्व निराशाजनक है। अतः राजनीति में महिलाओं को अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए।
- लोकतांत्रिक संस्थाओं में महिलाओं को यथोचित प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो पाता है।
- महिलाओं की साक्षरता–दर काफी कम है।
- महिलाओं की स्थिति सुधारने में गैर–सरकारी संगठन अधिक प्रभावषाली भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। साथ ही उत्पीड़ित महिलाओं को सरकारी व गैर–सरकारी संगठनों द्वारा पर्याप्त सुविधा दी जानी चाहिए तथा उनके लिए स्वरोजगार योजनाओं आदि का भी सृजन करना चाहिए।

संदर्भ ग्रन्थ सूची–

- रमा शर्मा व एम0के0 मिश्रा– भारतीय समाज में नारी, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली।
- राम अहूजा– क्राइम अगेन्स्ट वूमेन, रावत पब्लिकेशन।
- डॉ0 जय नारायण पाण्डेय– भारत का संविधान, सेण्ट्रल लॉ एजेन्सी, नई दिल्ली।
- डी0डी0 बसु– भारत का संविधान, सेण्ट्रल लॉ पब्लिकेषन, नई दिल्ली।
- आशा कौशिक– मानवाधिकार और राज्यः बदलते सन्दर्भ, उभरते आयाम, प्वाइण्टर पब्लिशर्स, जयपुर।
- प्रो0 मधुसूदन त्रिपाठी– भारत में मानवाधिकार, आयोग पब्लिकेशन, नई दिल्ली।